भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण /FISHERY SURVEY OF INDIA
न्यू फिशिंग हार्बर, ससुन गोदी, कुलाबा/NEW FISHING HARBOUR, SASSOON DOCK, COLABA
मुम्बई /MUMBAI-400 005

फा.सं.22-6/2022 हिन्दी

दिनांक: 07.02.2023

परिपत्र

विषयः संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुख्यालय, मुंबई का दिनांक 17.01.2022 को किए गए राजभाषा निरीक्षण- के संबंध में ।

Sub: Official Language Inspection of Fishery Survey of India (HQ) Mumbai, on 17.01.2022 by the Second Sub Committee of the Committee of Parliament on Official Language.

****

यह सूचित किया जाता है कि संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा दिनांक 17.01.2023 को (मुख्यालय) का राजभाषा निरीक्षण किया गया । प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा निम्नलिखित कमियाँ पाई गई । अतः सभी से अनुरोध है कि निम्नलिखित सुझावों का कड़ाई से अनुपालन करें ।

It is informed that Official Language Inspection of this (Hqrs) was carried out on 17.01.2023 by the Second Sub Committee of the Committee of Parliament on Official Language. As per the inspection report. the following shortcomings were observed by the Committee during the course of inspection. Therefore. all are requested to comply with the following suggestions strictly.

1. प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जाना अपेक्षित है।
   The Officers and employees who are proficient in Hindi are expected to do their entire work in Hindi.

   (कार्रवाई Action: सभी हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा/ By all Hindi Proficient Officers and employees)

2. हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपना न्यूनतम 75% कार्य हिंदी में किया जाए।
   The Officers and employees who have working knowledge of Hindi are directed to do their minimum work of 75% in Hindi.

   (कार्रवाईः हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी)

3. हिंदी में डिक्टेशन एवं टंकण के लिए लक्ष्य 55% है। कार्यालय के उप सचिव स्तर के अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे लक्ष्यानुसार कार्य हिंदी में करें।
   The target of giving dictation & noting is 55 %. Deputy level Officers are directed to do their work in Hindi as per the target.

   (कार्रवाई/Action: उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी एवं निदेशक (अभियांत्रिकी)/DDG(Engg.) & Director (Engg.)

4. 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के अधिकांश उत्तर अंग्रेजी में दिए जाते है जो कि राजभाषा नियम-3 का उल्लंघन है। भविष्य में 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाए।
   The letters received from the Central Govt. Offices located in Region 'A' & 'B' are being replied mostly in English, which is a violation of Official Language Rule of -3. In future, the letters received in English from Region 'A' & 'B' Region, may be replied in Hindi.

   (कार्रवाईः सभी अनुभाग/All Section)

5. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के साथ क्रमशः 90%, 90% एवं 55% पत्राचार हिंदी में किया जाना अपेक्षित है। भविष्य में लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।

As per the Annual Programme issued by Official Language Department, the prescribed target of Hindi correspondence with Central Govt. Offices to Region 'A', 'B' & 'C' Region is 90%, 90% and 55% respectively. In future the target may be achieved.

(कार्रवाई/Action: सभी अनुभाग/All Sections)

6. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य के अनुसार 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए न्यूनतम 50% टिप्पणियां हिंदी में लिखना अपेक्षित है। कार्यालय प्रमुख से अपेक्षा की जाती है कि वे न्यूनमतम 50% टिप्पणियाँ हिंदी में लिखें।
As per the Annual Programme issued by the Official Language Department the prescribed target of notings in Hindi for the Offices Located in Region 'B' is minimum 50%. The Head of Office is expected to do their minimum 50% notings in Hindi.

(कार्रवाई/Action: कार्यालय प्रमुख/Head of Office)

उक्त मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट समिति सचिवालय को छह माह के अंदर भेजी जानी है। अतः सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि उक्त मदों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें और सभी अनुभाग द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट 30 जून 2023 तक हिंदी अनुभाग को भेजें।

The follow up action of on the above items should be ensured and compliance report should be sent to the Committee, Secretariate within six months. Hence all the Officers and employees requested to comply the above items and all the section Should send the Compliance report to Hindi Section by 30th June 2023.

आर. जे.
7/2/23

(डॉ. आर. जयभास्करन)
महानिदेशक

सेवा में,

1..सभी अधिकारीगण

2.सभी अनुभाग